न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 386/2019 (115/2019)
GCMS NO. : 2019/00075

–: वादीगण :– **बनाम** **–: प्रतिवादीगण :–**

1. गफुर खॉं पुत्र लालु खां लवार के कायम मुकाम
   1/1. फकीर खां पुत्र गफूर खां
   1/2. शकूर खां पुत्र गफूर खां
   1/3. इस्माईल खां पुत्र गफूर खां
   जातियान मुसलमान लोहार, निवासी खारचिया, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

1. नारायणदान पुत्र चौथदान
2. गजरी पत्नी बगदाराम जाति मेघवाल
3. शांति बेवा मोहनीया जाति ढोली निवासीगण घोडावड तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
4. शिवराम पुत्र नैनीया
5. राधा बेवा नैनीया जातियान ढोली निवासीगण बडचियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. भाकरराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी केसरपुरा
7. शंकरलाल पुत्र गुलाबराम जाति मेघवाल निवासी घोडावड
8. नेमीचंद पुत्र आसूराम जाति मेघवाल निवासी बलाडा
9. तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.25/09/2019

उपस्थित:–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री एम0एस0 पठान, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉंक:– 31/01/2024**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खेडा मोलावास, पटवार हल्का लाम्बिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 2.8571 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 03 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 07 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा व खसरा नम्बर 08 रकबा 0.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

2185 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाड़ा भूमि स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्से की भूमि पर बतौर खरीददार वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है व 1/2 हिस्से की भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 17 से लगायत प्रतिवादीगण संख्या 28 रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत प्रतिवादीगण संख्या 16 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि थी तत्पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 03 से लगायत प्रतिवादीगण संख्या 16 ने अपने हक–हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता/प्रपिता को वर्ष 1962 को बैचान कर दी थी। तब 1/2 हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता/प्रपिता काबिज हुये। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता/प्रपिता ने अपने जायज जरूरत हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की 1/2 हिस्से की भूमि जरिये लिखित बैचान दिनांक 19/04/1966 को वादीगण गफुर खां एवं फकीर खां पुत्र गफुर खां के पक्ष में कर दिया गया, जिसका लिखित बैचाननामा दिनांक 19/04/1966 को बही में इन्द्राज किया गया। उक्त लिखत बैचान में प्रतिवादीगण संख्या 01 नारायणदान व प्रतिवादीगण संख्या 02 के पिता देवीदान ने बैचान की गई 1/2 हिस्से की प्रतिफल की राशि 2550/– रुपयें रोकड़ प्राप्त कर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त बही खाता में बैचान लिखत दिनांक 19/04/1966 की प्रति दावे के साथ पेश है। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि का लिखित बैचान होने के बाद बतौर खातेदार काश्तकार वादीगण काबिज है व काश्त करते आ रहे है। मगर वादीगण अनपढ़ एवं ग्रामीण परिवेश में होने के कारण प्रतिवादीगण से खरीद सुदा भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नहीं करवाया गया, जिससे राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 16 व उसके पिता/प्रपिता का नाम रोंग एन्ट्री के रुप में दर्ज है। जबकि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि पर वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त करते है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 16 व उनके पिता व प्रपिता का इस भूमि में किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नहीं है। उनके नाम का इन्द्राज गलत रुप से दर्ज है, जो एक रोंग एन्ट्री है। जिसे हटवाकर वादीगण अपना नाम दर्ज कराने व वादीगण 1/2 हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार होने की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए दावा बाबत् घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 16 के पेश की है। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि पर मौके पर बतौर खरीददार के वादीगण काबिज है व काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पिता गफुर खां वल्द लालू खां का आज से करीबन 10 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया है। जिसके विधिक उत्तराधिकारी वादीगण है तथा अपनी खरीद सुदा भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत प्रतिवादीगण संख्या 16 राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का गलत इन्द्राज होने का फायदा उठाने की नियत से व

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

जमीन की कीमत बढ़ जाने से प्रतिवादीगण की नियत खराब हो चुकी है व जमाबन्दी खतौनी में गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 16 वादग्रस्त भूमि को बैचान करने, खुर्द-बुर्द करने, वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 09.06.2019 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि तुम्हारे नाम से गलत इन्द्राज होने से समक्ष न्यायालय में चलकर रेकर्ड दुरूस्त करवाओं, मगर प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से मना कर दिया व वादीगण को बेदखल करने, व भूमि को बैचान करने की एलानिया धमकी दी, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश की है। प्रतिवादीगण संख्या 17 से लगायत प्रतिवादीगण संख्या 28 भूमि के सह-खातेदार काश्तकार होने से उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है तथा प्रतिवादीगण संख्या 29 तहसीलदार जैतारण भूमि के लैण्ड होल्डर होने से उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध भी कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 09.06.2019 को प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकर्ड में रोंग एन्ट्री को दुरुस्ती करवाने से एवं भूमि का बैचान, हस्तान्तरण एवं बेदखल करने एवं रेकर्ड दरूस्ती से साफ इन्कार करने पर वाद हेतुक ग्राम खेड़ा मोलावास तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में पैदा हुआ। उक्त वाद की सनुवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। वादीगण का वाद अन्दर म्याद पेश है।

इस पर वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 17 से 23, 25, 27, 28 बावजूद सम्मन सूचना/ईतला न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5,31 स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 से 16 एवं 30, 31 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश किया, जो शा.मि. है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5,31 स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 से 16 एवं 30, 31 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा खेड़ा मोलावास, पटवार हल्का लाम्बिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 2.8571 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 03 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 07 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा व खसरा नम्बर 08 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाड़ा भूमि में से 1/2 वां हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार पिछले 55 वर्षो से वादीगण अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है व 1/2 वां हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण सं. 17 से लगायत प्रतिवादीगण सं. 28 की

खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. 01 से लगायत 16 की खातेदारी भूमि थी, प्रतिवादीगण सं. 03 से लगायत प्रतिवादीगण सं. 16 द्वार अपने हक-हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के पिता/प्रपिता को वर्ष 1962 में बैचान कर दी, तत्पश्चात् प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के पिता/प्रपिता द्वारा अपने जायज जरूरत रुपयों की आवश्यकता होने से अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की 1/2 वां हिस्से की भूमि जरिये लिखित बैचान दिनांक 19/04/1966 को वादीगण गफूर, एवं फकीर खां पुत्र गफुर खां को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिसका लिखित बैचान की लिखापढी दिनांक 19.04.1966 को बही में की गई, जो बैचान लिखत दावे के साथ पेश है जिसे राजीनामा का एक भाग माना जावे। वादग्रस्त आराजी में से 1/2 वां हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है तथा पिछले 55 सालों से अधिक समय से वादीगण ही काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है ना ही पिछले 55 सालों से प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में काश्त किया है। वादीगण ग्रामीण परिवेश में रहने एवं अनपढ़ होने के कारण लिखत बैचान दिनांक 19/04/1966 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज नहीं करवाया, जिस कारण से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी मे प्रतिवादीगण सं. 01 से लगायत 16 व उनके पिता/प्रपिता का नाम रोंग एन्ट्री के रुप में आज तक दर्ज है। इसलिए उक्त राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम गलत हिस्से की रोंग प्रविष्टियों को हटवाया जाकर वादीगण का नाम 1/2 वां हिस्से की भूमि में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज किया जावे, इसमें प्रतिवादीगण को कोई उज, एतराज व आपत्ति नहीं है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में चाही गई इस्तदुआ अनुसार वाद पत्र को निर्णय कर डिक्री किया जावे तो भी प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, ना ही प्रतिवादीगण के वली वारिसान को कोई उज, एतराज होगा। उक्त राजीनामा में वर्णित तथ्यों/कथनों से प्रतिवादीगण एवं वादीगण पूर्ण रुप से पाबन्द रहेंगे व खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अतः राजीनामा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त राजीनामा में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद पत्र जरिए राजीनामा निर्णय मय डिक्री फरमावें।

बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम खेडा मोलावास की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 (प्रदर्श-1) के खसरा नम्बर 01 रकबा 2.8571 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 03 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 07 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

बेरा व खसरा नम्बर 08 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाड़ा में 'भंवरसिंह प्रहलादसिंह पृथ्वीसिंह भारतदान आवडदान पि0 सुमेरदान, देवीदान नारायणदान पि0 चौथदान, मनोहरदान धनदान पि0 अचलदान, बालकंवर बेवा भोपालदान, शक्तिदान रामसिंह अर्जुनसिंह सजनसिंह पि0 भोपालदान, सुगनकंवर बेवा लक्ष्मणसिंह एवं हरीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 1/2 कौम चारण' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है।

2. वादी फकीर खां पुत्र गफूर खां ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 01 में सशपथ कथन किया कि "वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि का लिखित बैचान होने के बाद बतौर खातेदार काश्तकार के वादी काश्त करते आ रहे है। मगर वादी अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण प्रतिवादी से खरीद सुदा भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नहीं करवाया गया। जिससे राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी एवं उनके पिता/प्रपिता के नाम की रोंग एन्ट्री दर्ज है।" अन्य गवाह में प्रतिवादी आवडदान पुत्र सुमेरदान ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 02 में सशपथ कथन किये कि "वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिवकार कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि मुझ प्रतिवादी के पूर्वजों एवं पिता परपिता द्वारा वादीगण को वर्ष 1962 में बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तब से 1/2 हिस्से की भूमि पर वादीगण ही काश्त करते आ रहे है।" अन्य गवाह में प्रतिवादी भंवरसिंह पुत्र देवीदान ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 03 में सशपथ कथन किये कि "राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रतिवादी एवं हमारे पूर्वजों के नाम रोग एन्ट्री के रूप में दर्ज है। जिसे दुरूस्त करवाने का वादीगण को पूरा हक व अधिकार है।"

3. प्रदर्श दस्तावेज प्रदर्श-2ए (लिखित बेचान दिनांक 19.04.1966 की बही) के लिए जिरह के समय अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने यह बात स्वीकार की कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में प्रतिवादी के नाम दर्ज थी। पिछले पचपन वर्षो से वादीगण वादग्रस्त जमीन पर काश्त करते आ रहे है। दिनांक 19.04. 1966 को वादी व प्रतिवादी मे मध्य जमीन की लिखा-पढ़ी हुई थी, जो प्रदर्श-2 है।

4. इस प्रकार लिखित बेचान बही दिनांक 19.04.1966 के अवलोकन एवं प्रतिवादीगण के कथन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पिता/प्रपिता द्वारा वादीगण को वादग्रस्त आराजी में से अपने 1/2 हिस्से का बेचान किया था। इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपस में किये राजीनामा के अनुसार भी प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादीगण के पिता/प्रपिता ने बेचान कर दिया था और आज दिनांक तक कब्जा वादीगण के पास ही है।

इस प्रकार वादी के शपथ-पत्र, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

आराजी सरहद मौजा खेडा मोलावास, पटवार हल्का लाम्बिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 2.8571 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 03 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 07 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा व खसरा नम्बर 08 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाड़ा की भूमि में प्रदर्श–1 जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 16 खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं जिरह में प्रतिवादी संख्या 2 व 5 ने यह स्वीकार किया है कि उक्त जमीन प्रतिवादीगण के पिता/प्रपिता द्वारा वादीगण को लिखित बेचान बही दिनांक 19.04.1966 के बेचान कर दी, जो कि सही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत बेचान बही प्रदर्श–2 से उक्त बेचान की पुष्टि होती है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपसी राजीनामा अनुसार भी उक्त वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में वादीगण का 55 वर्षों से कब्जा काश्त है। उक्त आराजी में वादीगण की 1/2 हिस्से की आराजी के लिए घोषणा किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 16 जो कि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में खातेदार घोषित है, को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वर्तमान राजस्व रेकर्ड के खातेदार काश्तकार द्वारा सहमति स्वरूप तहरीरी राजीनामा प्रस्तुत किये जाने एवं प्रदर्श दस्तावेजों के आधार पर ग्राम खेडामोलावास के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि **भंवरसिंह प्रहलादसिंह पृथ्वीसिंह भारतदान आवडदान पि0 सुमेरदान, देवीदान नारायणदान पि0 चौथदान, मनोहरदान धनदान पि0 अचलदान, बालकंवर बेवा भोपालदान, शक्तिदान रामसिंह अर्जुनसिंह सजनसिंह पि0 भोपालदान, सुगनकंवर बेवा लक्ष्मणसिंह एवं हरीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 1/2 कौम चारण** के स्थान पर बेचान दस्तावेज एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण **फकीर खां, शकूर खां, इस्माईल खां पि0 गफूर खां 1/2 कौम मुसलमान लोहार** दर्ज किया जाना उचित समझते है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ प्रविष्टि **'भंवरसिंह प्रहलादसिंह पृथ्वीसिंह भारतदान आवडदान पि0 सुमेरदान, देवीदान नारायणदान पि0 चौथदान, मनोहरदान धनदान पि0 अचलदान, बालकंवर बेवा भोपालदान, शक्तिदान रामसिंह अर्जुनसिंह सजनसिंह पि0 भोपालदान, सुगनकंवर बेवा लक्ष्मणसिंह एवं हरीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 1/2 कौम चारण '** दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर वादीगण **'फकीर खां, शकूर खां, इस्माईल खां पि0 गफूर खां 1/2 कौम मुसलमान लोहार'** का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा खेडा मोलावास, पटवार हल्का लाम्बिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 2.8571 हैक्टेयर किस्म चाही

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

अलीफ, खसरा नम्बर 03 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 07 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा व खसरा नम्बर 08 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाड़ा के **भू–अभिलेख** में जहाँ–जहाँ **'भंवरसिंह प्रहलादसिंह पृथ्वीसिंह भारतदान आवडदान पि0 सुमेरदान, देवीदान नारायणदान पि0 चौथदान, मनोहरदान धनदान पि0 अचलदान, बालकंवर बेवा भोपालदान, शक्तिदान रामसिंह अर्जुनसिंह सजनसिंह पि0 भोपालदान, सुगनकंवर बेवा लक्ष्मणसिंह एवं हरीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 1/2 कौम चारण'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उनके स्थान पर वादीगण के नाम की प्रविष्टि **'फकीर खां, शक्कूर खां, इस्माईल खां पि0 गफूर खां 1/2 कौम मुसलमान लोहार'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना स्वयं वहन करेगें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 31/01/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

बईजलास :– **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. गफुर खॉं पुत्र लालु खां लवार के कायम मुकाम
   1/1. फकीर खां पुत्र गफूर खां
   1/2. शकूर खां पुत्र गफूर खां
   1/3. इस्माईल खां पुत्र गफूर खां
   जातियान मुसलमान लोहार, निवासी खारचिया, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

1. नारायणदान पुत्र चौथदान
2. गजरी पत्नी बगदाराम जाति मेघवाल
3. शांति बेवा मोहनीया जाति ढोली निवासीगण घोडावड तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
4. शिवराम पुत्र नैनीया
5. राधा बेवा नैनीया जातियान ढोली निवासीगण बडचियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. भाकरराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी केसरपुरा
7. शंकरलाल पुत्र गुलाबराम जाति मेघवाल निवासी घोडावड
8. नेमीचंद पुत्र आसूराम जाति मेघवाल निवासी बलाडा
9. तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0– 386/2019 (115/2019)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा खेडा गोलावास, पटवार हल्का लाम्बिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 2.8571 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 03 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा नम्बर 07 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा व खसरा नम्बर 08 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाड़ा के भू–अभिलेख में जहॉं–जहॉं **'भंवरसिंह प्रहलादसिंह पृथ्वीसिंह भारतदान आवडदान पि0 सुमेरदान, देवीदान नारायणदान पि0 चौथदान, महेशदान धनदान पि0 अचलदान, बालकंवर बेवा भोपालदान, शक्तिदान रामसिंह**

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

अर्जुनसिंह सजनसिंह पि0 भोपालदान, सुगनकंवर बेवा लक्ष्मणसिंह एवं **हरीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 1/2 कौम चारण'** अंकित है उसे विलोपित करते हुये उनके स्थान पर वादीगण के नाम की प्रविष्टि **फक्कीर खां, शक्कूर खां, इस्माईल खां पि0 गफूर खां 1/2 कौम मुसलमान लोहार'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना-अपना स्वयं वहन करेगें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	9.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	12.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः-	17.00	मिजानः-	9.00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकैन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।